**आदेश 34, नियम 3, सि. प्र. सं. के अधीन आवेदन पत्र**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

आवेदक निम्नलिखित रूप में अति सादर पूर्वक निवेदन करता है

1. यह कि बन्धक रखी गयी सम्पत्ति से सम्बन्धित बंधक के पुरोबन्ध के लिए इस बाद में इस न्यायालय ने तारीख.................. को प्रतिवादी के विरुद्ध वादी के पक्ष में पुरोबन्ध के लिए एक प्रारम्भिक डिक्री पारित किया।
2. यह कि डिक्री की पैरा (1) के अनुसरण में प्रतिवादी तारीख.......................से.........................रुपये की एक रकम आवेदक/वादी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है।
3. यह कि रकम का कोई भी संदाय तारीख .................. से ऊपर पैरा (1) में निर्दिष्ट की गयी डिक्री के अधीन नहीं किया गया है।

**प्रार्थना**

यह अति सादर पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि बन्धक रखी गयी सम्पति का मोचन करने के लिए सभी अधिकारों से उसके माध्यम से या अधीन दावा करने वाले प्रतिवादी तथा सभी आतिथ्यों को विवर्जित करने वाला एक अंतिम आदेश पारित कर दिया जाय और प्रतिवादी वाद में सम्पत्ति पर आवेदक को कब्जाधारी करने का आदेश किया जाय। यह तद्नुसार प्रार्थना की जाती है।

**आवेदक**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**स्थान............**

**तारीख...........**